कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1987

का. आ. 830—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 19 में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परन्तु सरकारी सेवक को, खंड (i) के अधीन कोई आदेश दिए जाने के पूर्व, अधिरोपित की जाने वाली प्रस्थापित शास्ति के बारे में, अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने में पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा जहां ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो।"

[सं. 11012/13/86-स्था. (क)]

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 11th March, 1987

S.O. 830.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 19, for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely :—

"Provided that the Government servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i) :

Provided further that the Commission shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule."

[No. 11012/13/86-Estt. (A)]